

कार्यालय नगर पंचायत औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर

पत्रांक 630 /न0प0औ0/2019-20

दिनांक 19.08.2019

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पंचायत औरंगाबाद के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अस्थायी गौवश आश्रय स्थल हेतु संरक्षित गौवंश के भरण पोषण हेतु प्राप्त धनराशि से भूसा की आपूर्ति के लिये दरें प्राप्त करने हेतु दिनांक 26.08.2019 को दोपहर 2.00 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 26.08.2019 को 10.00 बजे से 12.00 बजे तक नगर पंचायत औरंगाबाद कार्यालय में कार्य के सम्मुख अंकित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 26.08.2019 को सांय 4.00 बजे अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी महोदय नगर पंचायत औरंगाबाद के समक्ष खोली जायेगी। सबसे न्यूनतम दर की निविदा को स्वीकृति प्रदान की जायेगी। निविदा जिले की वेबसाइट www.bulandshahr.nic.in पर उपलब्ध है।

क्रम सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	दरें	निविदा शुल्क	जमानत राशि	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	गौवंश भरण पोषण हेतु भूसा की आपूर्ति	अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल योजना	दरें प्रति कुन्टल	170/-	2000/-	15 दिन

शर्तें:-

1. शर्त व अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा के साथ जमानत राशि एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०/नकद के रूप में जमा करनी होगी जो अधिकासी अधिकारी नगर पंचायत औरंगाबाद के पदनाम से बंधक होंगे। जमानत राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
4. समस्त निविदा दाताओं को निविदा के साथ पैनाकार्ड की छायाप्रति, जी०एस०टी० नम्बर की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

अधिकासी अधिकारी
नगर पंचायत औरंगाबाद
बुलन्दशहर

अध्यक्ष
नगर पंचायत औरंगाबाद
बुलन्दशहर

प्रतिलिपि:-

1. एन०आई०सी० बुलन्दशहर की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ हेतु सादर प्रेषित।
2. सम्पादक दैनिक बुलन्द संदेश समाचार पत्र को इस आशय से कि वह अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में उक्त निविदा सूचना को न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर सम्बन्धित पत्र की दो प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
3. सम्पादक पंजाब केसरी समाचार पत्र को इस आशय से कि वह अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में उक्त निविदा सूचना को न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर सम्बन्धित पत्र की दो प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
4. कार्यालय नगर पंचायत औरंगाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिकासी अधिकारी
नगर पंचायत औरंगाबाद
बुलन्दशहर